"मातृशक्ति सशक्तिकरण ऋण योजना"

चमोली जिला सहकारी बैंक लि०

प्रधान कार्यालय-गोपेश्वर

Mail- dcbcml@gmail.com
Mail- development@czsbank.com

Phone- 8191997901
Phone- 8191997932

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

"Cooperatives Build a Better World"

सहकार से समृद्धि

सहकारिता से समृद्धि की दृष्टि को साकार करना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को गति देना

रोज़गार के अवसर

बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना

सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना

सहकारी आंदोलन को देश में सशक्त बनाना

सहकारी क्षेत्र की क्षमता

सहकारी क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना

नीतिगत ढाँचा

नीतिगत, कानूनी और संस्थागत ढाँचे का निर्माण करना

डॉ० धन सिंह रावत

सहकारिता मंत्री, उत्तराखंड

चमोली जिला सहकारी बैंक लि०
प्रधान कार्यालय-गोपेश्वर

International Year of Cooperatives
2025
Cooperatives Build a Better World

****

Mail- dcbcml@gmail.com
Mail- development@czsbank.com
Phone- 8191997901
Phone- 8191997932

मातृशक्ति सशक्तिकरण ऋण योजना

****

Document Title	Matrishakti Empowerment Loan Scheme
Approved By Board/ Administrator Resolution No.	04
Approved on	18 Nov. 2025
Effective Date	18 Nov. 2025

(सूर्य प्रकाश सिंह)
सचिव/महाप्रबन्धक

(डॉ० अभिषेक त्रिपाठी)
प्रशासक/मुख्य विकास अधिकारी

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक संख्याः पत्रांक 51923/अधि०/नि०म० परिपत्र/2025-26 दिनांक 07 नवम्बर, 2025 के अनुपालन में बैंक प्रशासकीय बैठक दिनांक 19.11.2025 में पारित प्रस्ताव सं०-03 के क्रम में प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान हेतु **"मातृशक्ति सशक्तिकरण ऋण योजना"** को निम्नानुसार बैंक में लागू किया गया है।

क्रमांक	मापदण्ड	विवरण/दिशा-निर्देश
1	**योजना की प्रयोज्यता**	यह योजना बैंक के प्रभावी क्षेत्राधिकार प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैको एवं राज्य सहकारी बैंक की परिचालित शाखाओ में उक्त यथा अनुमोदन ऋण नीति के प्रख्यापित किये जाने की तिथि यथा लागू से शाखा कार्यक्षेत्र के परिधि के अन्तर्गत मान्य होगी।
2	**लाभार्थी**	सभी उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासरत मातृशक्ति/महिलाओं को **व्यक्तिगत क्षमता** के आधार पर ऋण अनुमन्य किये जाने के पात्र होगें।
3	**आयु**	न्यूनतम आयु **18 वर्ष** अधिकतम आयु **55 वर्ष** (आवेदन जमा करने की तिथि तक)
4	**प्रयोजन**	किसी भी **आजीविका गतिविधि, सुक्ष्म उद्यम या स्वरोजगार, कृषि गतिविधि, व्यापार गतिविधि कृषि उपकरण/मशीनरी की खरीद या स्वरोजगार** से सम्बन्धित किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऋण सुविधा अनुमन्य की जा सकती है। हॉलाकि ऋण का उपयोग जिस मद/प्रयोजन के लिए स्वीकृत है उक्त मद/प्रयोजन में ही उपयोग किया जायेगा शाखा प्रबन्धक उक्त हेतु विशेष ध्यान दे। आवेदन पत्र में उद्देश्य निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
5	**पात्रता मापदण्ड**	1. आयु **न्यूनतम 18 वर्ष से 55 वर्ष तक** होनी चाहिए। 2. बैंक में उसके परिवार के दो बचत खाते (एक स्वंय का और दूसरा परिवार के किसी सदस्य का) जिसमें न्यूनतम अवशेष राशि मु० 500/- होना चाहिए। 3. एकल महिला/विधवा के सन्दर्भ में केवल एक बचत खाता आवश्यक होगा। 4. उसकी/उसके ऋण के परिपेक्ष्य समाज में अच्छी साख होनी चाहिए। 5. किसी भी संस्था का **बकायेदार नही होना चाहिए,** इस आशय का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. योजना के अन्तर्गत एक समय में **एक परिवार की केवल एक महिला ही**

		ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है। परिवार का अर्थ एक दम्पत्ति ओर उनके बच्चे जो एक ही घर में एक साथ रहते है।
6	**मार्जिन**	शून्य
7	**ऋण की आहरण सीमा**	ऋण वितरण की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगीः- ऋण **प्रथम चरण में मु0 21000/-** रूपये निर्धारित (अधिकतम सीमा)
8	**प्रतिदान क्षमता**	आवेदक के पास शाखा प्रबन्धक की सन्तुष्टि के अनुरूप आय का पर्याप्त स्रोत होना चाहिए।
9	**ऋण सुरक्षा/गारण्टी**	1. वित्तपोषित **ऋण से क्रय की गई परिसम्पत्ति का दृष्टिबन्धक**, यदि कोई हो। 2. (द्वितीय एवं तृतीय चरण ऋण के लिए) एकल महिला/अविवाहित महिला/विधवा के मामले में उधारकर्ता के पति/पत्नी या परिवार के किसी वयस्क सदस्य की प्रथम चरण के ऋण में गारण्टी की बाध्यता नही रहेगी।
10	**ऋण अप्रैजल**	शाखा प्रबन्धक को ऋण स्वीकृत करते समय व्यवसायिक दक्षता के आधार पर विवेकपूर्ण/सावधानी पूर्वक सम्पूर्ण ऋण दस्तावेजो का **ई-के०वाई०सी०/के०वाई०सी०** अपने समक्ष करने तथा पात्रता एवं प्रतिदान क्षमता का मूल्यॉकन करने के उपरान्त यदि ऋण जोखिम एवं ऋण सुरक्षा से पूर्ण सन्तुष्टि होने की दशा में समस्त औपचारिकताये पूर्ण कर ऋण स्वीकृत करेगे।
11	**पुनर्भुगतान की अवधि**	**अधिकतम 5 वर्ष** **उधारकर्ता को 60 वर्ष की आयु** प्राप्त करने से पूर्व ऋण का परिसमापन करना होगा।
12	**ब्याज दर**	अग्रिम ऋण पर ब्याज दर **9 प्रतिशत** प्रभारित की जायेगी, तथा अतिदेय की स्थिति में चूक की गई राशि पर सामान्य दर से 2 प्रतिशत अतिरिक्त दण्डात्मक शुल्क प्रभारित किया जायेगा। ब्याज दर प्रबन्ध समिति की बैठक के अनुमोदन उपरान्त परिवर्तनीय होगी।
13	**बैंक ऋण की अदायगी**	1. ऋण खाते को अनिवार्य रूप से बचत खाते से जोडा जायेगा। 2-ऋण संवितरण बैंक शाखा में बचत खाते के माध्यम से किया जाएगा, जो अधिमानतः आधार से जुड़ा होना चाहिए।
14	**बीमा**	ऋण जोखिम को सुरक्षित किये जाने के उद्देश्य से **ऋण का बीमा कराया जाना** अनिवार्य होगा।
15	**सामाजिक सुरक्षा योजनांए**	उधारकर्ता को आयु की पात्रता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओ पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अन्तर्गत आच्छांदित किया जाना चाहिए।

16	**ऋण की वसूली**	पुनर्भुगतान समान मासिक किस्त के आधार पर किया जायेगा। शाखा में वेतन खाता वाले उधारकर्ता को मासिक किस्त के लिए वेतन खाते से स्थायी अनुदेश प्रदान करना होगा। अन्य सभी आवेदको को त्रैमासिक किस्त के **12 उत्तर दिनॉकित चैक जमा करने होंगे,** अर्थात् प्रत्येक तिमाही के लिए उत्तर दिनॉकित चैक हॉलाकि ऋण किस्त मासिक रूप से वसूल की जाएगी, ईएमआई में अनियमितता की स्थिति में चैक का उपयोग किया जायेगा।
17	**प्रोसिंसग शुल्क**	शून्य
18	**नामात्रिक सदस्यता**	आवेदक एवं गारण्टर को बैंक का नाममात्रिक सदस्य नामांकित किया जाना अनिवार्य होगा।
19	**स्वीकृर्ता प्राधिकारी**	ऋण स्वीकृति प्राधिकारी बैंक ऋण नीति के अनुसार।
20	**रिपोर्टिंग**	योजना के अन्तर्गत अग्रिम भुगतान की रिर्पोट आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लिखित उद्देश्य के अनुसार की जाएगी, अर्थात् कृषि/एमएसएमई/एनपीएस शाखा द्वारा अंकित उद्देश्यों के अनुरूप सी०बी०एस० दर्ज करना सुनिश्चित करेगें।
21	**कोई अन्य शर्ते**	ऋण राशि की सुरक्षा के लिए दस्तावेज में वर्णित व्यवस्था के अतिरिक्त स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्ते भी लगाई जा सकती है।
22	**उत्पाद कोड**	खाता जी०एल० कोड .... मद "**मातृशक्ति सशक्तिकरण ऋण योजना** (उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऋण योजना)" के अन्तर्गत खाता खोला जायेगा।
23	**दस्तावेजीकरण**	**पूर्व-स्वीकृत** 1. निर्धारित प्रारूप पर आवेदन। 2. विगत तीन माह के बैंक खाते का विवरण की प्रति। 3. शाखा प्रबन्धक की सन्तुष्टि के लिए उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज। 4. ऋणी/जमानतियो का के०वाई०सी० एवं ई. के०वाई०सी० ऋण स्वीकृति से पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा। 5. सिविल स्कोर 6. उधारकर्ता से यह बचन लिया जाएगा कि वह अपने बचत खाते में प्रत्येक दशा में न्यूनतम मु० 500/- रूपये निर्धारित सीमा तक राशि बनाए रखेगा। 7. किसी भी बैंक का बकायेदार नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करना

		होगा। **स्वीकृति के पश्चात ऋण वितरण से पूर्वः-** 1. बचन पत्र/प्रोनोट 2. समायोजन पत्र 3. अधित्याग / छूट पत्र 4. कन्ट्यूनिटी पत्र 5. साक्षी एवं ऋणी के मध्य सावधि ऋण समझौता अनुबन्ध। 6. गारण्टी अनुबन्ध पत्र। 7. ऋण द्वारा सृजित सम्पत्ति को प्रभार स्परूप बैक के पक्ष में दृष्टिबन्धक करना होगा।
24	**अतिरिक्त प्रोत्साहन ऋण राशि**	1. **द्वितीय चरण ऋण मु० 51000/- रूपये तकः-** यदि उधारकर्ता 12 माह से पूर्व और 15 माह तक बिना किस्तो के भुगतान में चूक किये ऋण जमा करता है, तो उक्त ऋणी योजना के उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन मु0 51000/- रूपये की राशि ऋण प्राप्त किये जाने के पात्र होगे। 2. **तृतीय चरण ऋण मु0 111000/- रूपये तकः-** यदि उधारकर्ता 12 माह से पूर्व और 15 माह तक बिना किस्तो के भुगतान में चूक किये ऋण जमा करता है, तो उक्त ऋणी योजना के उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मु0 111000/- रूपये की राशि ऋण प्राप्त किये जाने के पात्र होगे।

ऋण योजनान्तर्गत हेतु एप्रेजल नोट

- आवेदक का नाम .... पिता/पति का नाम ....
- स्थाई पता ....
- आवेदक का सेविंग खाता स0 .... फोन नं0 ....
- जन्मतिथि .... आयु .... सिबिल स्कोर .... टिप्पणी ....
- योजना लागत .... याचित ऋण राशि .... प्रतिदान क्षमता (मार्जिन मनी) ....

  अनुदान राशि .... ऋण की अवधि .... ब्याज दर .... मासिक किस्त ....
- ऋण के सापेक्ष लिये जाने वाली कोलेटरल सिक्योरिटी **(सावधि जमा/भूमि रजिस्ट्री)**
  - नाम .... सावधि खाता स0–........................... आकलित मूल्य–..............
  - खाता खतौनी स0–............. खसरा न0–.............. रकवा–............. ग्राम/मौजा–............

    तहसील–................ परगना–................ जिला–............... भूमि की आकलित मूल्य–........

- **प्रस्तावित जमानतियों का विवरण–**

1– जमानती का नाम .... पिता/पति का नाम ....

कार्यालय का पता ....

स्थाई पता .... फोन नं0 ....

2– जमानती का नाम .... पिता/पति का नाम ....

कार्यालय का पता ....

स्थाई पता .... फोन नं0 ....

(जमानतियों की हैसियत विवरण– 1...2...)

शाखा द्वारा संस्तुति/स्वीकृति

श्री/श्रीमती...पिता/पति–.. पता–...को मु0...रू0 (शब्दो मे) .... जिसकी ऋण अवधि– .... एवं मासिक किस्त– .... रू0 तय कर उक्त .... ऋण योजना पत्रावली को निर्धारित नियमों एवं निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए सभी वैधानिक औपचारिकतांऐ पूर्ण करते हुए मूल ऋण पत्रावली स्वीकृती हेतु श्रीमान सचिव/महाप्रबंधक महोदय की सेवा में प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जा रही है।

सहायक आंकिक/सहायक
चमोली जिला सहकारी बैक लि0
शाखा –

शाखा प्रबन्धक
चमोली जिला सहकारी बैक लि0
शाखा –

प्रधान कार्यालय द्वारा स्वीकृति

श्री/श्रीमती..पिता/पति–.. पता–...को मु0...रू0 (शब्दो मे) .... जिसकी ऋण अवधि– .... एवं मासिक किस्त–.......................... रू0 की उक्त .... ऋण योजना पत्रावली को मुख्यालय स्तर से दिनांक .... को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सहा0 आंकिक

अनु0 अधिकारी

उप–महाप्रबन्धक (विकास)

सचिव/महाप्रबन्धक

चमोली जिला सहकारी बैंक लि०

प्रधान कार्यालय-गोपेश्वर

Mail- dcbcml@gmail.com Phone- 8191997901

Mail- development@czsbank.com Phone- 8191997932